C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. VIII, Third Session, 2020/1941 (Saka)
No. 12, Wednesday, March 04, 2020/ Phalguna 14, 1941 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 181 and 182	8-17
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 183 to 200	18-78
Unstarred Question Nos. 2071 to 2300	79-712

PAPERS LAID ON THE TABLE 714-717

STANDING COMMITTEE ON FINANCE

6th Report 718

MOTION RE: 14TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 718

MATTERS UNDER RULE 377 719-734

(i) Need to include all public sector hospitals in Ayushman Bharat Yojana

Shri Ajay Misra Teni 719

(ii) Regarding increasing pollution in Indira Gandhi Canal

Shri Nihal Chand Chouhan 720

(iii) Need to set up Gramin haat bazaar in Maharajganj Parliamentary Constituency, Bihar

Shri Janardan Singh Sigriwal 721

(iv) Need to widen and convert Joriya- Pallanwala road in Jammu and Kashmir into double lane

Shri Jugal Kishore Sharma 722

(v) Need to lay a new railway line on Ratlam-Banswara-Dungarpur section

Shri Kanakmal Katara 723

(vi) Need to construct a railway over bridge on level crossing in Sitapur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Rajesh Verma 724

(vii) Need to undertake development and management of places of pre-historic importance in Aurangabad district, Bihar

Shri Sushil Kumar Singh 724

(viii) Need to set up an Airport in Dhalbhumgarh in Jamshedpur Parliamentary Constituency, Jharkhand

Shri Bidyut Baran Mahato 725

(ix) Regarding Parwan Dam Project in Baran district of Rajasthan

Shri Dushyant Singh 726

(x) Need to include spiritual circuit of Ashtavinayak temples in Maharashtra under Swadesh Darshan Scheme

Shri Manoj Kotak 727

(xi) Need to take measures for conversion of Gadchiroli-Vadsa railway line into broadgauge in Maharashtra

Shri Ashok Mahadeorao Nete 727

(xii) Need to set up coal, lime stone and graphite based industries in Palamu Parliamentary Constituency, Jharkhand

Shri Vishnu Dayal Ram 728

(xiii) Need to provide better road and air connectivity to Buddhist sites

Shri Jagdambika Pal 728

(xiv) Need to relocate the proposed Pharma Cluster from Hyderabad

Shri Komati Reddy Venkat Reddy 729

(xv) Need to shift headquarters of Indian Army's Southern Command to Secunderabad

Shri Anumula Revanth Reddy 730

(xvi) Need to include four tourist places in Ernakulam under PRASAD Scheme

Shri Benny Behanan 730

(xvii) Regarding changing the name of Indus Valley Civilisation

Dr. T. Sumathy (A.) Thamizhachi Thangapandian 731

(xviii) Need to provide compensation to farmers affected by construction of high power transmission towers in Tamil Nadu

Shri A. Ganeshamurthi 732

(xix) Need to declare Prakasam district of Andhra Pradesh as a backward district

Shri Magunta Sreenivasulu Reddy 733

(xx) Need to start flight services from Sabaiya Airport in Gopalganj Parliamentary Constituency, Bihar

Dr. Alok Kumar Suman 734

DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS BILL, 2020 735-738

Clauses 7 to 12 and 1 735-737

Motion to Pass 738

INDIAN INSTITUTES OF INFORMATION TECHNOLOGY LAWS (AMENDMENT) BILL, 2020 739

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 740

Member-wise Index to Unstarred Questions 741-746

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 747

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 748

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, March 04, 2020/Phalguna 14, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय सभापति: श्रीमती साजदा अहमद जी।

…(व्यवधान)

(**Q.No.181)**

The Minister of State of the Ministry of Development of North Eastern Region; Minister of State in the Prime Minister's Office; Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions; Minister of State in the Department of Atomic Energy and Minister of State in the Department of Space (Dr. Jitendra Singh):

(a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

माननीय सभापति: आप लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री अजय भट्ट – उपस्थित नहीं

श्री मनीष तिवारी – उपस्थित नहीं।

…(व्यवधान)

11.01 hrs

(At this state Shri Gaurav Gogoi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: यह प्रश्न काल का समय है। इसमें संसद सदस्य लोगों की समस्याओं को उठाते हैं।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I would like to clarify it for the sake of record. …(*Interruptions*) हमने कल भी यह बताया था। Yesterday also we have stated that after restoring normalcy 11 तारीख को लोक सभा में दिल्ली में जो अनफार्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, रॉयट्स हुए हैं, उस पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं। अभी होली भी आ रही है। …(व्यवधान) इसको मद्देनजर रखते हुए हम 11 तारीख को लोक सभा में पूरी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तब तक कांस्टिट्यूशनल आब्लिगेशन है। हमें बहुत-सारे बिल भी पारित करने हैं। सेंस ऑफ दी हाउस यह है कि लोक सभा और राज्य सभा को चलना चाहिए, पार्लियामेंट चलनी चाहिए। …(व्यवधान) 11 तारीख को भारत सरकार इस पर पूरी चर्चा करने के लिए तैयार है। यह हमने ऑपोजिशन लीडर से भी कहा है, लेकिन ये लोग सदन नहीं चलाना चाहते हैं। …(व्यवधान) अगर चर्चा चाहते हैं तो सदन चलाने दीजिए। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 11 तारीख को लोक सभा में और 12 तारीख को राज्य सभा में हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। …(व्यवधान) लेकिन, ये चर्चा नहीं चाहते हैं, ये डिसरप्शन चाहते हैं। ये लोगों की समस्याओं पर चर्चा नहीं चाहते हैं। मैं फिर से अपील कर रहा हूं कि आप कृपया सदन को चलने दीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं।…(व्यवधान)

11.02 hrs

(At this stage Adv. A.M. Ariff and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

माननीय सभापति: आप अपने स्थान पर जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न संख्या 182

…(व्यवधान)

(**Q. 182**)

श्री सुशील कुमार सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुझे जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, उसके अनुसार देश में स्टील ग्रेड कोयले का उत्पादन लगातार घट रहा है। …(व्यवधान) इसके कारण 'सेल' जैसी सरकारी कंपनी को अपनी जरूरत के अनुसार कोयला आयात करना पड़ रहा है, जिससे देश को राजस्व का घाटा होता है और विदेशी मुद्रा खर्च होती है। …(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि जब दूसरे ग्रेड के कोयले को वॉश करके स्टील ग्रेड कोयला बनाया जा सकता है तो क्या सरकार इस तरह का विचार रखती है कि 'सेल' को उसकी जरूरत के अनुसार कोयला आपूर्ति करने के लिए नई वॉशरीज लगाई जाएं और कोल वॉश करके 'सेल' को आपूर्ति की जाए।…(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : सरकार का विचार है कि हम जो सब्स्टिट्युटेबल कोल इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसमें नॉन सब्स्टिट्युटेबल कोल का इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कोल वॉशरी के लिए भी टारगेट दिया हुआ है। …(व्यवधान) हम उसके अनुसार काम कर रहे हैं।…(व्यवधान) हमारा वर्ष 2023-24 तक नॉन सब्स्टिट्युटेबल कोल का इम्पोर्ट पूरी तहर से बंद करने का टारगेट है। हम इसे बंद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कोल का उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं।…(व्यवधान) हमने लोक सभा में इसके लिए बिल भी पेश किया है और अगर वह बिल पारित होता है तो हमें विश्वास है कि हमारा प्रोडक्शन डबल हो जाएगा।…(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार सिंह : सभापति महोदय, सी.ए.जी. की रिपोर्ट के अनुसार बी.सी.सी.एल. के द्वारा वर्ष 2013 से वर्ष 2016 के बीच में बीसीसीएल ने स्टील ग्रेड कोयले को सब-स्टैंडर्ड कोयले से मिला दिया था।…(व्यवधान) सी.ए.जी. की रिपोर्ट के अनुसार इससे सरकार को 95 करोड़ रुपये का घाटा

हुआ है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस घाटे के लिए मंत्रालय द्वारा बीसीसीएल के विरुद्ध क्या एक्शन लिया गया और अब मंत्रालय क्या एक्शन लेना चाहता है?...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : हम सहज रूप से सी.ए.जी. की रिपोर्ट पर एक्शन लेते रहते हैं फिर भी यह जो स्पेसिफिक इंसिडेंट है, इसके लिए मैं माननीय सदस्य को जानकारी इकट्ठा करके बता दूंगा । ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

11.07 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Twelve of Clock.

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

…(व्यवधान)

12.0 ¼ hrs

(At this stage, Shri Benny Behanan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, आज हमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की चर्चा करनी है, दलितों की चर्चा करनी है, ओबीसी की चर्चा करनी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अपने स्थान पर चले जाएं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अपने स्थान पर चले जाएं। आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

12.01 hrs

The Lok Sabha adjourned till Fourteen of the Clock.

14.02 hrs

The Lok Sabha reassembled at Two Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

…(व्यवधान)

14.02 ½ hrs

(At this stage, Shri Hibi Eden and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(व्यवधान)

14.03 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I beg to lay on the Table:

(1) A copy of the Output Outcome Framework (Hindi and English versions) of the Ministry of Coal for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT 2146/17/20]

(2) A copy of the Notification No. G.S.R.864(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 20th November, 2019, notifying Tamil Nadu Minerals Limited, Tamil Nadu Magnetic Limited, Tamil Nadu Cements Corporation Limited and NLC India Limited for the purposes of the second proviso to sub-section (1) of Section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 under sub-section (1) of Section 28 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 2147/17/20]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) एंट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बैंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एंट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बैंगलुरू का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 2148/17/20]

(ख) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 2149/17/20]

(ग) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (क) और (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2150/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया**,** श्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) कैमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीएपीईएक्सआईएल), कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीएपीईएक्सआईएल), कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2151/17/20]

(3) (एक) इंडियन इंस्टिटयूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिटयूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2152/17/20]

(5) (एक) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फोर्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फोर्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2153/17/20]

(7) वर्ष 2020-2021 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2154/17/20]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY SHAMRAO DHOTRE): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(1) (i) Review by the Government of the working of the ITI Limited, Bengaluru, for the year 2018-2019.

(2) (ii) Annual Report of the ITI Limited, Bengaluru, for the year 2018-2019, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 2155/17/20]

_____

14.04 hrs

STANDING COMMITTEE ON FINANCE

6th Report

SHRI JAYANT SINHA (HAZARIBAGH): I beg to present the 6th Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Finance on 'Insolvency and Bankruptcy Code (second Amendment) Bill 2019'.

_____

14.04 ½ hrs

MOTION RE: 14TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): I beg to move:

"That this House do agree with the Fourteenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 3rd March, 2020."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 3 मार्च, 2020 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 14वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

…(व्यवधान)

14.05 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे मामले के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

…(व्यवधान)

(i) Need to include all public sector hospitals in Ayushman Bharat Yojana

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): आयुष्मान भारत माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें देश के 10 करोड़ परिवार (लगभग 50 करोड़ लोगों) को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है, उसी क्रम में प्रदेश सरकारों ने अपने राज्यों में उक्त योजना को लागू करने हेतु कुछ सावर्जनिक क्षेत्र व इच्छुक प्राईवेट अस्पतालों का पैनल बनाया है, जहां ऐसे मरीजों का इलाज किया जाता है। इसमें सबसे प्रमुख समस्या यह है कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा इस योजना को लागू नहीं किया तथा जहां योजना लागू है, वहां भी सार्वजनिक क्षेत्र के सभी चिकित्सालयों को उसमें शामिल न किए जाने के कारण बड़ी संख्या में पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अभी तक निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 15644 अस्पताल पैनल में शामिल हैं। जिसमें सर्वाधिक अस्पताल कुल का लगभग 20 प्रतिशत 3184 गुजरात प्रदेश में हैं। वहीं कई प्रदेशों जैसे छत्तीसगढ़,

* Treated as laid on the Table.

तमिलनाडु में भी संख्या संतोषजनक है। परन्तु कई प्रदेशों में जनसंख्या के अनुपात में ऐसे पैनल में शामिल अस्पतालों की संख्या कम होने के कारण पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि सभी राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी चिकित्सालयों में आयुष्मान भारत योजना (पीएमजेएवाई) को लागू करने का निर्देश दें, जिससे सभी पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिल सके।

(ii) Regarding increasing pollution in Indira Gandhi Canal

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): मैं सरकार का ध्यान इंदिरा गांधी नहर के पानी में दिन ब दिन बढ़ते प्रदूषण की तारफ आकर्षित करना चाहता हूं, जिस कारण इस नहर का पानी पीने व सिंचाई योग्य नहीं रह गया है। राजस्थान प्रदेश में पानी एक बड़ी समस्या है और बहुत ही सीमित मात्रा में इसकी उपलब्धता है। इंदिरा गांधी नहर, जिसका पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान प्रदेश को आवंटित होता है, में प्रदूषण बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिसका मुख्य कारण पंजाब राज्य की औद्योगिक इकाइयों द्वारा केमिकल व अन्य प्रदूषित कचरा इंदिरा गांधी नहर में प्रवाहित करना है। इस दूषित पानी का मुद्दा पहले भी मेरे द्वारा सदन में उठाया जा चुका है, परन्तु अभी भी पानी के प्रदूषण स्तर में सुधार नहीं हो सका है। इंदिरा गांधी नहर के पानी से राजस्थान के चुरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाडमेर, नागौर जैसे रेगिस्तानी जिले प्रभावित हो रहे हैं।

(iii) Need to set up Gramin haat bazaar in Maharajganj Parliamentary Constituency, Bihar

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी का ध्यान मैं अपने संसदीय क्षेत्र महाराजगंज लोक सभा, बिहार की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे लोक सभा क्षेत्र महाराजगंज की बनावट ऐसी है कि इसका अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों एवं आंशिक भाग अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पूर्णतया कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। ऐसे में किसान अपने उत्पादित अन्न और सब्जी तथा अन्य प्रकार के कृषि उत्पाद का उत्पादन कर अपना जीवन-यापन करते हैं। इस परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के उत्पादित माल को उचित मूल्य पर बिक्री करने के लिए बाजार का घोर अभाव है। इसलिए हमारे क्षेत्र के किसानों को अपने उत्पाद को औने-पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को उत्पादों को उचित मूल्य पर खरीद बिक्री करने के लिए ही विगत वर्षों में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक महत्वाकांक्षी योजना, ग्रामीण हाट योजना का शुभारंभ किया था जिससे कि किसानों की आय को दोगुनी करने में सरकार सफल हो सके। इस योजना के तहत जून 2019 तक 22000 (बाइस हजार) ग्रामीण हाट को विस्तारित करने का लक्ष्य था।

भारत सरकार के माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के सारण जिला के तरैया, इसुआपुर, पानापुर, मशरक, बनियापुर, जलालपुर, मॉझी, दाऊदपुर, एकमा, लहलादपुर (जनता बाजार), रसुलपुर तथा सिवान जिला के महाराजगंज, गोरियाकोठी, बसंतपुर, लकड़ीनवीगंज एवं भगवानपुर हाट के क्षेत्रों में ग्रामीण हाट योजना के तहत ग्रामीण हाटों को खुलवाया जाये जिससे कि किसान अपने उत्पादन को उचित मूल्य पर खरी बिक्री कर लाभ कमाकर अपनी आय को दुगुना करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। ऐसा हम लोगों की सरकार का भी उद्देश्य है।

(iv) Need to widen and convert Joriya- *Pallanwala* road in Jammu and Kashmir into double lane

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र के बॉर्डर (सीमावर्ती) की ओर दिलाना चाहता हूं।

सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क जयोड़िया से पलांवाला सड़क की ओर मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो मेरे संसदीय क्षेत्र के दो विधान सभाओं अखनुर और छम्ब में पड़ती है और यह सड़क पूरे जम्मू जिले को बॉर्डर क्षेत्र से जोड़ती है।

जयोड़िया से पलांवाला सड़क की हालत बहुत ही खस्ता है। यह सड़क एकल वाहन के लिए बनी है पर हर रोज इस सड़क पर बहुत ही आवाजाही रहती है। पूरे क्षेत्र के लोग और सीमा सुरक्षा बल के सैनिक इस सड़क का इस्तेमाल कर बार्डर क्षेत्र में पहुंचते हैं।

माननीय मंत्री जी से मेरी विनती है कि इस सड़क के चौड़ीकरण को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए और धनराशि प्रदान कर इसे डबल लाईन करने का काम जल्द से जल्द शुरू कराया जाए।

(v) Need to lay a new railway line on Ratlam-Banswara-Dungarpur section

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा): वित्तीय वर्ष 2020-21 का आम बजट संसद में पेश किया गया, इस बजट में रेलवे के लिए कई बड़े ऐलान किये गये हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा कि रेलवे की कमाई बहुत कम है इसलिए सौर ऊर्जा तैयार करने के लिए रेलवे की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा।

आदरणीय वित्त मंत्री जी ने बजट में कहा कि तेजस जैसी और ट्रेनें चलाई जाएगी, तेजस ट्रेन के जरिये पर्यटन स्थलों से जोड़ा जाएगा, 550 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध है।

रेल बजट 2020 में प्रसिद्ध स्थलों को जोड़ने के लिए तेजस जैसी ट्रेनें और 27 हजार कि०मी० रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रीफिकेशन किया जाएगा। इस आम बजट 2020 में रेलवे को नई ऊचाइयों पर ले जाने, नई ट्रेनें चलाने, नए रेलवे ट्रैक बनाने और इलेक्ट्रीफिकेशन आदि की कई महत्वपूर्ण घोषणायें की गई हैं।

इसी कड़ी में मैं सरकार का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र डूंगरपुर-बॉसवाडा जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित मांग रतलाम-बॉसवाडा-डूंगरपुर स्वतंत्रता के 70 वर्षों बाद भी पूरी होने का सपना ही देख रही है। आदिवासी क्षेत्र के लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय रेल मंत्री जी से इसे पूरी होने की उम्मीद रखते हैं।

अगर रतलाम बॉसवाडा-डूंगरपुर नई रेल लाइन योजना को मूर्त रूप देंगे तो आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के नये आयाम स्थापित होंगे। यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, नये-नये उद्योग, मिलें, फैक्ट्रियां स्थापित होगी एवं अहमदाबाद, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आने-जाने में सुविधा मिलेगी।

(vi) Need to construct a railway over bridge on level crossing in Sitapur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सीतापुर (उत्तर प्रदेश) की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरा जनपद सीतापुर काफी घनी आबादी का क्षेत्र है, बीच शहर से होकर ट्रेनों का आवागमन होता है। इस रूट पर पैसेंजर गाड़ी कम माल गाड़ी बहुत बड़ी संख्या में निकलती हैं जिससे शहर में कई जगह जाम लगता है तथा सीतापुर से श्यामनाथ मंदिर होते हुए जनपद लखीमपुर (गोला) को जाने वाली सड़क पर बनी हुई कॉसिंग पर पूरा दिन कई-कई घंटे जाम लगा रहता है। इस मार्ग पर ट्रैफिक का आवागमन बहुत है।

ऐसी परिस्थिति में, मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इस कॉसिंग पर जनहित को ध्यान में रखते हुए एक रेलवे ओवरब्रिज बनाने का निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

(vii) Need to undertake development and management of places of pre-historic importance in Aurangabad district, Bihar

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): बिहार के औरंगाबाद जिला के देव प्रखण्ड में छठी शताब्दी में निर्मित एक प्राचीन सूर्य मंदिर वर्तमान में जर्जर स्थिति में है। इस पवित्र स्थल पर वर्ष में दो बार छठ महापर्व का आयोजन किया जता है और करीब 25 लाख श्रद्धालु देश के विभिन्न क्षेत्रों में आते हैं। इस पवित्र तीर्थ स्थल पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण तीर्थ यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विगत वर्ष भी श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ की वजह से देवधाम में घटित दुर्घटनाओं में कई लोगों की मौत के साथ सैकड़ों श्रद्धालु घायल हुए थे। मंदिर में कई शिलालेख खिसक गए हैं और कई खिसकने के कगार पर हैं। इस मंदिर तक जाने वाली सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। पेयजल, स्नानागार, शौचालय, यात्री निवास, सड़क और सफाई की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त कोचेश्वरनाथ, बैजुधाम, बांकेधाम, केशपाधाम, उमगेश्वरीमाता मंदिर, गजनाधाम, दूधेश्वरनाथ, सत्यचंडी माता मंदिर की स्थिति जर्जर है।

मेरी सरकार से मांग है कि प्रागैतिहासिक महत्व की धरोहरों और तीर्थ स्थलों के विकास एवं प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाए।

(viii) Need to set up an Airport in Dhalbhumgarh in Jamshedpur Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर टाटा औद्योगिक घराने के नाम से मशहूर है। वहां टाटा जैसे बड़े उद्यमी स्थापित हैं। वहीं एमएसएमई का एक बड़ा सेक्टर भी आदित्यपुर में है। यहां एमएसएमई और ऑटोमोबाइल सेक्टर में छोटे-बड़े उद्योगों को मिलाकर लगभग दो हजार उद्योग हैं। इसके साथ ही, यहां माइंस का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट की स्वीकृति के बावजूद अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। पिछले वर्ष जनवरी में भूमि पूजन हुआ था। जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास एवं भारत सरकार के तत्कालीन माननीय मंत्री श्री जयंत सिन्हा जी ने वहां जाकर भूमि-पूजन कर शिलान्यास किया था, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए लगभग सौ करोड़ रुपये आवंटित किये, लेकिन वन विभाग द्वारा एनओसी न मिलने के कारण आज तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है।

अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में अगर एयरपोर्ट बन जाता है, तो इससे केवल झारखण्ड ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के खड़गपुर, मिदनापुर, झाड़ग्राम, पुरूलिया और ओडिशा के बारिपदा, मयूरभंज और बालेश्वर भी जमशेदपुर जैसे बड़े शहर से जुड़ जाएंगे। इसलिए वन विभाग से एनओसी दिलाने संबंधी आवश्यक कार्रवाई किया जाय, जिससे जल्द एयरपोर्ट का निर्माण हो सके।

(ix) Regarding Parwan Dam Project in Baran district of Rajasthan

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): Parwan Dam Project has been controversial and delayed many times. It was under construction in Baran District, an amount of Rs. 6489.59 crore was granted for the project in 2017. This project has been highly controversial project. The project received first approval from Ministry of Environment, Forest and Climate Change on 25.11.2011. NGT had clearly stated that without adhering to the 32 conditions, the construction must not begin. The then Government laid foundation stone for the dam on 17th September, 2013 bypassing the proper procedures. Then, the new Government fulfilled the conditions laid down by NGT and final clearance was received on 23rd January, 2017 and then the construction of the dam started in December, 2017. But now the new Government has stopped the construction of the project.

(x) Need to include spiritual circuit of Ashtavinayak temples in Maharashtra under Swadesh Darshan Scheme

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): मैं सरकर का ध्यान महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिरों को भारत सरकार की योजना स्वदेश दर्शन के अंतर्गत स्प्रीचूअल सर्किट में शामिल करने की और दिलाना चाहता हूँ। अष्टविनायक यात्रा में महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध आठ गणपति मंदिर शामिल हैं जो आठ अलग अलग स्थानों पर स्थित है। ये अष्टविनायक मंदिर मोरगाँव, राजणगाँव, तीरू, लेणयाद्रि, ओझर, शिद्धअष्टक, पाली और महोड़ में स्थित है। ये सभी तीर्थ स्थल पुणे, अहमदनगर और रायगढ़ जिलों में स्थित हैं।

यदि सरकार इन अष्टविनायक मंदिरों को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करती है तो इन तीर्थ स्थलों का इनफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और तीर्थ स्थल पहुँचने तक के साधनों का पुनरुद्धार होगा। जहां महाराष्ट्र के भक्तों के लिए यह एक अनमोल उपहार होगा साथ ही साथ पूरे भारत में भक्त भी इन अष्टविनायक मंदिरों तक पहुँच पाएंगे और दर्शन कर सकेंगे। अब तक सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत एक ही स्प्रीचुअल सर्किट को महाराष्ट्र राज्य में शामिल किया है। इसलिए मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि अष्टविनायक मंदिरों को तुरंत स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किया जाए।

(xi) Need to take measures for conversion of Gadchiroli-Vadsa railway line into broadgauge in Maharashtra

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): मेरा संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर कई सौ किलोमीटर लम्बे क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा आदिवासी संसदीय क्षेत्र है। यह क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा घना आदिवासी बाहुल्य नक्सल प्रभावित दुर्गम और अविकसित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में स्थित गड़चिरोली-वड़सा रेलवे लाईन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। लेकिन, इसके लिए भू-संपादन एवं निर्माण हेतु धन का आवंटन अब तक नहीं किया गया है, जिस कारण इसके निर्माण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। दूसरे, इस क्षेत्र के विकास हेतु गड़चिरोली-आष्टीआलापल्ली-सिरोंचा-मंचेरियाल-आदिलाबाद और नागभीड़-कम्पा-टम्पा-चिमूर-वरौरा नई रेलवे लाईन के सर्वेक्षण हेतु भी धन का आवंटन किए जाने की जरूरत है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध हे कि वह नक्सलवाद से बुरी रह प्रभावित गड़चिरोली-वड़सा रेलवे लाईन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित किए जाने के लिए भू-संपादन और निर्माण हेतु धन का शीघ्र आवंटन किए जाने के साथ-साथ उक्त दोनों नई रेलवे लाईनों के सर्वेक्षण हेतु भी धन का आवंटन करने का कष्ट करें।

(xii) Need to set up coal, lime stone and graphite based industries in Palamu Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू के दोनों जिलों यथा पलामू एवं गढ़वा देश की 125 अत्यंत पिछड़े जिलों में आते हैं। आजादी के बाद से लेकर आज तक उद्योग धंधों के नाम पर केवल छोटी सी फैक्ट्री कॉस्टिक सोडा फैक्ट्री रेहला है जिसमें केवल 1295 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त वर्षों पूर्व 1972 में एक जपला सीमेंट फैक्ट्री खुली थी। वह भी वर्ष 1992 से आज तक बंद है। जिसके कारण प्रत्येक वर्ष वहां के सैकड़ों व्यक्ति रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं जहां उनको तरह-तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं काफी बड़ी संख्या में मजदूरों की मृत्यु हो जाती है और उनका मृत शरीर जब उनके घरों को आता है तो स्थिति बहुत विदारक हो जाती है। अतः मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता को पलायन की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार को मेरे क्षेत्र में कोयला, चूना पत्थर एवं ग्रेफाइट आधारित उद्योग धंधों को स्थापित किया जाए क्योंकि ये सारे खनिज पदार्थ बहुतायत में मेरे संसदीय क्षेत्र में मिलते हैं।

(xiii) Need to provide better road and air connectivity to Buddhist sites

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): To ensure that the message of Lord Buddha reaches the people residing in every corner of the globe and crores of Buddhist devotees get better access to sites where Lord Buddha spent his entire life, it is the need of the hour to provide better connectivity by road to all the Buddhist sites including Siddharthnagar's Kapilvastu by connecting it with the National Highway and ensuring its better air connectivity by Pawan Hans and likes.

(xiv) Need to relocate the proposed Pharma Cluster from Hyderabad

SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY (BHONGIR): I wish to bring to the notice of the Government the violation of norms by the Government of Telangana in the proposed pharma cluster. The Government of Telangana had planned for the establishment of Hyderabad Pharma City in an extent of 3000 acres but increased it to 19,333 acres, which includes pristine agricultural lands, pastoral areas and forests besides water bodies such as surface water tanks. Pharma industries are in red category. We have the example of Musi river which was irrevocably polluted by pharma industries over years. The location selected for the pharma city is just less than 15 Kms from the Airport and many IT companies and Airbus are in operation. Farmers are being forced to part with their agricultural lands. Environment Appraisal Committee appointed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change had laid down certain conditions which have been diluted and rescinded by vested interests. The Government of Telengana is going ahead with impunity flouting all norms to establish the pharma cluster which will deal a heavy blow to the nature and environment. There is no economic, administrative, social, environmental and ecological justification for this project. Hence, I request the Government to review the sanction given to this project and relocate Hyderabad Pharma City to a place far away from Hyderabad city without affecting the environment.

(xv) Need to shift headquarters of Indian Army's Southern Command to Secunderabad

SHRI ANUMULA REVANTH REDDY (MALKAJGIRI): Currently, the Headquarters of Indian Army's Southern Command is located in Pune Cantonment and not in any Southern State, whereas almost all the Headquarters of Indian's Army Command are located in their respective regions. Central Command Headquarters is located in Uttar Pradesh, Eastern Command HQ in West Bengal, Northern Command HQ in Jammu and Kashmir. It's only Southern Command which is not located in a Southern State. Due to this, Secunderabad Cantonment Board faces problems in carrying out its day to day activity. Secunderabad Cantonment is located in Telangana and in the twin city of Hyderabad-Secunderabad, one of the largest out of 60 Cantonments in the country occupying more than 9,000 acres of land. Thus, making it an ideal place for being the Headquarters of Indian Army's Southern Command.

I, therefore, request the Government that adequate steps in the direction must be taken at the earliest.

(xvi) Need to include four tourist places in Ernakulam under PRASAD Scheme

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Kerala is famous for its Spiritual Tourism destinations. Some of the main destinations in Ernakulam are Kalady, the birthplace of 8th century Indian philosopher and theologian Adi Shankara, Malayattoor St. Thomas Church which is one of the eight international shrines in the world, Cheraman Juma Masjid in Kodungallur, the first mosque in India and the Kodungallur Devi temple, one of the most powerful Shakti Peethas in Kerala. Hence, these destinations should be developed in order to provide better experience and amenities to the tourists and further promote economic growth. Therefore, I urge upon the Central Government to include these 4 spiritual destinations under PRASAD Scheme.

(xvii) Regarding changing the name of Indus Valley Civilisation

DR. T. SUMATHY (A.) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Our Finance Minister in her budget speech had claimed the Indus Valley Civilization to be Sarasvati Civilization which the present government seems to have been claiming for years now. Clearly, the historians and archaeologists from time to time have been resistant to such claims due to politicizing OF history. The defenders argue that the river was a big, majestic river and quote evidence of the existence of so many Harappan period sites. But the noted Historian Prof. Satish Chandra says that the civilization grew on the banks of small rivers. Traditionally, people did not use water from the river but wells and *buolis* (step wells) and the argument of having a big river does not hint at civilisation.

The whole proposal of renaming Indus Valley Civilization as Sarasvati Valley Civilization or Sarasvati Civilization intensified in pace when the Haryana Sarasvati Heritage Development Board was established. Hon'ble Speaker, I would like to quickly elaborate on the geography of the Indus Valley Civilisation (IVC) which extended from Pakistan’s Balochistan in the west to India’s western Uttar Pradesh in the east, from north-eastern Afghanistan in the north to India’s Gujarat state in the south. The proposal from the Haryana Board also stated that

there are less than hundred sites in Pakistan dating back to the so- called Indus Valley Civilisation while there are nearly a thousand sites in Haryana. The largest Harappan site Rakhigarhi and the oldest Bhirrana are both in Haryana. Hon'ble Speaker, India is known for its unity in diversity. I request the Union Government not to rename the Indus Valley Civilization.

(xviii) Need to provide compensation to farmers affected by construction of high-power transmission towers in Tamil Nadu

SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): In Tamil Nadu, the Power Grid Corporation of India and Tamil Nadu Transmission Corporation Limited (TANTRANSCO) are executing more than 13 power projects involving high power transmission towers. More than 40,000 farmers are directly affected due to the implementation of these projects, and more than this number are being affected indirectly. As agricultural activities are not providing profits anymore, the monetary value of the land is the only source of livelihood of farmers. Due to these schemes relating to high power transmission grids and the installation of towers on farm lands, the value of land has drastically gone down. Moreover, trees, crops, wells, bore wells, houses and other structures found on the land are also very much affected. In the year 2015, Ministry of Power had devised guidelines for providing compensation to the persons affected due to the implementation of high-power grid projects. These guidelines are not on the basis of any law and are also against the fair and justified means of providing compensation to the victims. The new Land Acquisition Act legislated by the Union Government in the year 2013 exempted 13 enactments listed in the Fourth Schedule of the Act regarding rights relating to acquisition and use of land. But the Union Government in its report issued in the year 2015 affirmed that the 13 enactments regulating the land acquisition, rehabilitation and settlement will be applicable to the Land Acquisition Act. This includes the Electricity Act of 2003

and the PMP Act 1963 which are related to acquisition and use of land. Power transmission companies are denying rightful compensation to the victims as per law stating that the Land Acquisition Act of 2013 is only applicable to land acquisition and not for rights relating to use of land. Keeping in view of the affected farmers. I, therefore, urge upon the Government to help the victims affected by high power transmission towers in getting compensation and to order for carrying out the rehabilitation and resettlement work, that is due to these victims, as per the new Land Acquisition Act of 2013.

(xix) Need to declare Prakasam district of Andhra Pradesh as a backward district

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Today, I want to raise the voice of people of my constituency, i.e., Ongole in Prakasam district of Andhra Pradesh. I have been demanding to declare Prakasam District as a Backward District since long.

The Prakasam means one which gives bright light. But even after 50 years of its formation. Prakasam district has brightness only in its name and not in development. This district was formed in the year 1970 by drawing all backward areas from Kurnool, Guntur and Nellore districts. Since its inception, the district is backward in most of the development parameters.

It is not having any irrigation schemes. Industries and required infrastructural facilities like health, education, transport connectivity, etc. are not property developed. The residents of this district are also facing drinking water problem as water in this area is having high fluoride content, which is creating serious health problems. The agriculturists are small and marginal farmers depend on rain-fed crops.

There is no Government University for students, not a single railway junction, stadium or sports complex for sports persons in the entire district. Availability of safe drinking water is far below than National and State average. The children in fluoride affected areas suffer severely from Anemia. Prakasam

district was equal or worse in respect of other districts which were selected for special development package in 2014.

I request the Government to declare Prakasam district as a backward district and provide the facilities and financial assistance for the development of the said district.

(xx) Need to start flight services from Sabaiya Airport in Gopalganj Parliamentary Constituency, Bihar

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): मैं माननीय नागर एवं विमानन मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के हथुआ अनुमण्डल मुख्यालय स्थित बंद पड़े सबैया एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान सेवा एक बार फिर से चालू करवाने के लिए आपसे आग्रह कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल पर उड़ान योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने बिहार के 26 हवाई अड्डों को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम "उड़ान' के तहत हवाई सेवाएं शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। सेवा सहित व कम सेवा वाले 26 हवाई अड्डों की सूची में हथुआ के सबेया एयरपोर्ट का नाम भी शामिल है। बिहार सरकार से एनओसी मिलने के बाद भी हवाई अड्डे को चालू करवाने के लिए आपके मंत्रालय से इस सम्बन्ध में कोई कारवाई नहीं की गई है। सबैया एयरपोर्ट के चालू होने से हमारे संसदीय क्षेत्र एवं आस-पास के जिलों का विकास तीव्र गति से होगा तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। गोपालगंज व सीवान जिले से ही सर्वाधिक संख्या में लोग खाड़ी देश जाते हैं। ऐसे में खाड़ी देश से आने या जाने वाले लोगों को घरेलू स्तर पर ही उड़ान सेवा का लाभ मिलेगा तथा उससे पड़ोसी जिला सीवान, छपरा, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण एवं देवरिया को भी सर्वाधिक लाभ होगा। हमारे जिले में विदेशी मुद्रा अर्जन भी देश के अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक है एवं बिहार में प्रथम है।

अतः माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि सबैया हवाई अड्डा को पुनः चालू करवाने की कृपा करेंगे।

14.08 hrs

DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS BILL, 2020 …Contd.

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार जारी रखेगी।

Clause 7 No refund of amount paid

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I beg to move:

Page 5, line 9,-

omit "not" (8)

माननीय सभापति : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

Amendment made:

Page 5, *after* line 10, *insert*–

"Explanation.– For the removal of doubts, it is hereby clarified that where the declarant had, before filing the declaration under sub-section (1) of section 4, paid any amount under the Income-tax Act in respect of his tax arrear which exceeds the amount payable under section 3, he shall be entitled to interest on such excess amount under section 244A of the Income-tax Act.". (20)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 7, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 9 Act not to apply in certain cases

Amendments made:

Page 5, *for* lines 17 to 19, *substitute* –

"(i) relating to an assessment year in respect of which an assessment has been made under sub-section (3) of section 143 or section 144 or section 153A or section 153C of the Income-tax Act on the basis of search initiated under section 132 or section 132A of the Income-tax Act, if the amount of disputed tax exceeds five crore rupees;". (21)

Page 5, *omit* lines 27 to 29 (22)

Page 6, *for* lines 6 to 12, *substitute* –

"(c) to any person in respect of whom prosecution for any offence punishable under the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the Prevention of Corruption Act, 1988, the Prevention of Money Laundering Act, 2002, the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 has been instituted on or before the filing of the declaration or such person has been convicted of any such offence punishable under any of those Acts;

"(ca) to any person in respect of whom prosecution has been initiated by an Income-tax authority for any offence punishable under the provisions of the Indian Penal Code or for the purpose of enforcement of any civil liability under any law for the time being in force, on or before the filing of the declaration or such person has been convicted of any such offence consequent to the prosecution initiated by an Income-tax authority;". (23)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 9, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 और 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 12 Power to make rules

Amendment made:

Page 6, *after* line 42, *insert*–

"(da) determination of disputed tax including the manner of set-off in respect of brought forward or carry forward of tax credit under section 115JAA or section 115JD of the Income-tax Act or set-off in respect of brought forward or carry forward of loss or allowance of depreciation under the provisions of the Income-tax Act;

(db) the manner of calculating the amount payable under this Act.". (24)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 12, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1 Short Title

माननीय सभापति : श्री कोडिकुन्निल सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

Page 1, line 2,–

for "Vivad se Vishwas"

substitute "Dispute Resolution". (10)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 1 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय सभापति : मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

" कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

14.10 hrs

INDIAN INSTITUTES OF INFORMATION TECHNOLOGY LAWS (AMENDMENT) BILL, 2020*

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय शामराव धोत्रे): सभापति महोदया, मैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (प्राईवेट-पब्लिक भागीदारी) अधिनियम, 2017 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (प्राईवेट-पब्लिक भागीदारी) अधिनियम, 2017 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* Published in the Gazette of India , Extraordinary, Part-II, Section 2, dated 04.03.2020

श्री संजय शामराव धोत्रे : सभाप**ति** महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 5 मार्च, 2020 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.11 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 05 2020/Phalguna 15, 1941(Saka).